राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, पाली

दूरभाष नं. 02932–225907 ई–मेल :adwepali@gmail.com

क्रमांक : F.15(1) म.अ./सा.चयन/2015/884 दिनांक : 17.04.2018

विज्ञप्ति संख्याः 1/2018–19

जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों में साथिन को स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों पर चयन हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	पाली	सांपा, मणिहारी, डरी, साकदडा, हेमावास, बडेरवास, बाणियावास, लाम्बिया, भांवरी, गिरादड़ा, सोडावास
2	सोजत	केलवाद, मेव, रूपावास, चौपडा, झूपेलाव, सोजतरोड़, मंडला, साण्डिया, सुरायता, चाडवास
3	रोहट	चोटिला, दिवान्दी, सावलताकला
4	देसुरी	डायलानाकलां, कोट सोलकियान, सुमेर, माण्डपुर, बडोद, सिन्दरली, माण्डीगढ
5	सुमेरपुर	भारून्दा, बसंत, धणा
6	बाली	कुरणा, पैरवा, धणी, मिरगेश्वर, बिसलपुर
7	मारवाड जंक्शन	हिंगोलाखुर्द, बासोर, चवाडिया, निम्बली–माण्डा
8	रानी	धेनडी ,माण्डल, नीपल, सिवास, गजनीपुरा, खिवाड़ा, घेंनड़ी, किशनपुरा, नादाणाभाटान
9	रायपुर	सुमेल, बाबरा, काणुचा, गिरी, सबलपुरा, बुटीवास, नानणा, रेलडा
10	जैतारण	भूम्बलिया, देवरिया, घोडावड, मोहराई, , टूंकडा

1. आवेदक का स्थानीय ग्राम पचांयत की मूल निवासी होना अनिवार्य हैं।
2. साथिन हेतु न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण एवं विवाहित होना अनिवार्य हैं।
3. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आवेदक की आयु सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग 21–35 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति 21–40 वर्ष, विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता के लिए 21–45 वर्ष होनी चाहिए।
4. आवेदक अपने आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र/आयु प्रमाण–पत्र/विवाह प्रमाण–पत्र/विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता संबंधी दस्तावेज /RS-CIT प्रमाण–पत्र/कार्यानुभव संबंधी दस्तावेज/बी.पी.एल. कार्ड की प्रति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।
5. आवेदन पत्र इस कार्यालय या प्रचेता/ ग्राम पचांयत या विभागीय वेबसाईट wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त किया जा सकता हैं।
6. चयन परिपत्र क्रमांक 22430 दिनांक 05.07.2017 विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।
7. योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुंआ आवेदन पत्र (2 प्रतियों में) इस कार्यालय में/सबंधित प्रचेता को दिनांक 02.05.2018 को सायं 5.00 बजे तक व्यक्तिश/डाक के माध्यम से जमा करा सकेगी।
8. जिन ग्राम पंचायतों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसख्यक वर्ग का हैं, उन ग्राम पंचायतों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जाएगा।
9. इस सबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(फरसाराम विश्नोई)
सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग,
पाली

क्रमांक : F.15(1) म.अ. / सा.चयन / 2015 / 885–920 दिनांक : 17.04.2018

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति पाली / सोजत / जैतारण / रायपुर / मा.जंक्शन / रानी / रोहट / सुमेरपुर / बाली / देसुरी को भेजकर निवेदन है कि रिक्त साथिन पद पर चयन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजन बाबत् आदेश नियमानुसार विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में जारी करने का श्रम करावें तथा साथिन चयन को ग्राम सभा के एजेण्डा में शामिल करवायें।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त।
4. प्रचेता / सुपरवाईजर महिला अधिकारिता ब्लॉक समस्त को भेजकर लेख है कि ग्राम पचांयत / पचांयत समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा कर व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें।
5. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत .... को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।
6. प्रोग्रामर महिला अधिकारिता राज. जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत्।
7. संपादक, दैनिक भास्कर, पाली को भेजकर निवेदन है कि जिले के संस्करण में DIPR की दरों पर न्यूनतम साईज में विज्ञप्ति प्रकाशित करें। (कार्यालय TAN No. JDHPO6052E)
8. नोटिस बोर्ड जिला कलक्ट्रैट कार्यालय, जिला परिषद, कार्यालय हाजा, ब्लॉक / पंचायत समिति में चस्पा हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग
पाली